झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 26.07.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती विमला प्रधान एवं श्री शिव शंकर उराँव. स0वि0स0	सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के पालकोट प्रखण्ड के 67 पाकरटांड प्रखण्ड के 7 एवं रायडीह प्रखण्ड के 9 गाँव कुल 83 गाँवों को सरकार ने 2004 ई0 में ही वन्य जीव आक्षयणी क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन 83 गाँवों में जनता की आबादी काफी है जो वर्षो से यहाँ के निवासी है कृषि एवं वनोउपज से जीविकोपार्जन होता है. इन जंगलों पहाड़ों में वन्य जीव के रूप में भालू एवं बन्दर ही मिलते है, जिनकी संख्या भी कम है वन्य जीव आक्षयणी क्षेत्र घोषित होने से आम जनता विस्थापन के भय में रह रही है। अतः इन गाँवों को वन्य जीव आक्षयणी क्षेत्र से मुक्त करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन
02-	सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, रामचन्द्र सहिस एवं भानु प्रताप शाही स0वि0स0	"बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1" 'नियमावली- 1939 में डिप्लोमा संवर्ग के अभियंताओं को अभियंता प्रमुख तक अर्थात पंचम स्तर तक प्रोन्नति के पद सोपान विगत 77 वर्षो से स्थापित थे, परन्तु इसके उलट झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियमावली-2016 में उक्त पंचम स्तर तक के पद सोपान को मात्र प्रथम स्तर के पद सोपान तक ही सीमित कर दिया गया है. जो नई नियमावली की अधिसूचना तिथि के पूर्व से सहायक अभियंता का पद धारित कर रहे सामान्य वर्ग के डिप्लोमाधारी अभियंताओं के संविधान प्राप्त अधिकार का हनन एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की	पथ निर्माण

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		धारा-73 में स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तदेन मुख्य सचिव (श्री राजीव गौबा) द्वारा अन्य विभागीय प्रधानों की बैठक दिनांक- 15.05.2015 में लिये गये निर्णयों की अवहेलना भी। संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी के उक्त गैर कानूनी कृत्य से सरकार की छवि खराब हो रही है। अतएव विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक- 28.11.2014 में पथ निर्माण विभाग के डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता (सामान्य कोटि) के प्रोन्नति के निमित खाली रखे गये 30 (तीस) पदों पर कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति तिथि से तत्काल इन प्रभावित संबंधितों को प्रोन्नत किया जाना चाहिए, क्योकि डिप्लोमा अभियंता संघ बनाम झारखण्ड राज्य (एल0पी0ए0 सं0-106/2015) में दिनांक-28.09.2015 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा सरकार के विरूद्ध पारित गंभीर टिप्पणी पर राज्य सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अतः सर्वप्रथम 30 (तीस) रिक्त पदों पर पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सामान्य वर्ग के डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं प्रधान सरचिव, कार्मिक द्वारा नई नियमावली-2016 की समीक्षा डिप्लोमा संघ के आपत्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत औचित्य के परिप्रेक्ष्य में कराकर आवश्यक संशोधन हेतु सदन के माध्यम से हम सभी सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	
03-	श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0	झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में स्थानीय नीति लागू कर दिया गया है। किन्तु स्थानीय नीति में संशोधन हेतु मांग आजसू सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा बराबर की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी स्थानीय नीति में संशोधन का आश्वासन दिया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय नियुक्तियों के पूर्व स्थानीय नीति में संशोधन करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030

04-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	वर्ष 2015-16 में हजारीबाग के छड़वा मैदान व शहरी क्षेत्रों में मुहर्रम एवं रामनवमी में हुए संप्रदायिक दंगो में कई निर्दोष, मृत पागल, वृद्ध एवं जनप्रतिनिधियों को जान-बुझ कर उक्त घटना से सम्बन्धित मुकदमा सं0- 185/15, दिनांक- 24.10.2015 व 59/16, दिनांक- 18.04.16, 367/16, दिनांक- 17.04.16 में आरोपी बनाकर स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान की जा रही है। अतः उक्त घटना की उच्चस्तरीय जाँच हेतु ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
05-	श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड में 2008-09 के ग्रामीण जलापूर्ति योजना का प्रारम्भ D.V.C. तथा C.S.R. के आपसी सहमति के तहत प्रारम्भ किया गया D.V.C. को 9,41,28,749/- राशि इस योजना में देना था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूरी राशि उपलब्ध करा दी गयी, किन्तु D.V.C. द्वारा आपसी सहमति के राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह जनउपयोगी योजना अधूरी एवं लंबित है। ज्ञातव्य हो कि E.D. प्रोजेक्ट D.V.C. के पत्रांक- 438, दिनांक- 04 जुलाई, 2015 में स्पष्ट रूप से वित्तीय सहायता हेतु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पत्र दिया गया, इसके बावजूद वित्तीय सहयोग नहीं उपलब्ध कराया गया, जिस कारण बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना अधूरी एवं लंबित है। यह योजना जनता के हित में अतिउपयोगी है। उपरोक्त वर्णित समस्या का समाधान हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

राँची,
दिनांक- 26 जुलाई, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2863/वि0 स0, राँची, दिनांक- 25/7/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/पथ निर्माण विभाग/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/16

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2863/वि0 स0, राँची, दिनांक- 25/7/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

25/7/16